



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-145

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272155 दिनांक 16/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Madhu Ahuja S/o W/O,Jethana nd Ahuja	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा	212	162.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block- C	Name Transfer	रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी-212 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 16.11.20122 को श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा के पक्ष में जारी किया गया है। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा श्रीमती स्मृति बाला शर्मा पत्नी श्री कमल स्वामी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.06.2023 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्रीमती स्मृति बाला शर्मा द्वारा श्री रजत कपूर पुत्र श्री दिनेश कपूर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.07.2024 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री रजत कपूर द्वारा श्रीमती मधु आहुजा पत्नी श्री जेठानन्द आहुजा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.08.2024 के द्वारा बेचान किया गया है।
---	---	---	-----	---------------------	-----	---	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Madhu Ahuja S/o W/O, Jethanand Ahuja को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |